न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 197 / 2022

1 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मुकन्दा जाति जाट उम्र 60 साल निवासी ग्राम ढाका की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गिरधारी पुत्र मेघाराम
2 हरलाल पुत्र मेघाराम
3 जगमान पुत्र मेघाराम
4 सत्यपाल पुत्र मेघाराम
5 नौरंगलाल पुत्र दल्लाराम
6 मधाराम पुत्र दल्लाराम
7 श्रीमरा पुत्र दल्लाराम
8 गोकुलचन्द पुत्र मुन्नाराम
9 पार्वती पत्नी शंकर
10 रणजीत पुत्र शंकर
11 सरोज पुत्री शंकर
12 त्रिलोक पुत्र मुन्नाराम
13 बुलेश देवी पुत्री मुन्नाराम
14 शिमला देवी पुत्री मुन्नाराम
15 संतोष पुत्री मुन्नाराम
16 बिमला पुत्री हरिसिंह
17 कमला पुत्री हरिसिंह
18 उम्मेद पुत्र हरिसिंह
19 इन्द्राज पुत्र हरिसिंह
20 मुकेश पुत्र हरिसिंह
21 राकेश पुत्र हरिसिंह
22 सुमन पुत्री हरिसिंह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

23 बनारसी देवी पत्नी हरिसिंह
24 सन्तोष देवी पत्नी मामराज
25 विनोद पुत्र मामराज
26 विकम पुत्र मामराज
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाका की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
27 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
28 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. जरिये शाखा प्रबन्धक
29 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 19.09.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी
गिरधारी आदि बनाम नौरंग आदि मु.नं. 150/2021

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/7/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक वाद घोषणार्थ व विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 317, 318, 319, 320, 321, 322, 338, 339 वाके ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणीयां नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 07 नियम 1 (ग) के अनुसार वाद पत्र में प्रतिवादी का नाम व निवास स्थान का पता उल्लेखित किया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र के शीर्षक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 के निवास स्थान का पता अंकित नहीं किया है। किस पते पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तामील करवायी है ओर किस पते पर तामील होना मानकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किया है कुछ अंकित नहीं है इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 के निवास स्थान/पते का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए विचारण न्यायालय ने बिना कानून व तथ्यों का गौर किये उक्त निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। वादीगण द्वारा ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.0500, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.500 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 5.0600 हैक्टेयर बाबत वाद पेश किया था जिसमें खसरा नम्बर 318 व 319 का वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को, खसरा नम्बर 320 व 321 का प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 को, खसरा नम्बर 338 व 339 का अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 को, खसरा नम्बर 322 का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 23/रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 26 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर घोषणा के अनुसार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा था उसी के लिए अपीलान्ट ने सहमति दी थी परन्तु अपीलान्ट ने वादी प्लीडिंग की वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के विरूद्ध उक्त प्राथमिक निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय में तनकीयात पर निर्णय पारित करना था तथा दोनो तनकीयात.को साबित करने का भार वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 पर था अन्य प्रतिवादीगण का कोई प्रतिदावा/काउन्टर क्लेम नहीं था प्रतिवादी को साबित करने के लिए कोई तनकीयात कायम नहीं की गई थी तथा ना ही इस बाबत कोई आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई अर्थात विचारण न्यायालय को अपना निर्णय उपरोक्त तनकीयात पर ही देना था। वादीगण ने उक्त तनकीयात को साबित करने के लिए साक्ष्य वादी पेश की गई। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नहीं हुई। इस कारण वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। वादीगण की साक्ष्य से वादीगण को उक्त वाद बखुबी साबित था तथा विचारण न्यायालय को आदेश आदेश 02 नियम 5 सिविल प्रकिया सहिता के अनुसार 'न्यायालय हर एक विवाधक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा' अर्थात न्यायालय को अपना निर्णय विवाधक पर ही देना था। जब वादी अपनी साक्ष्य से विवाधक/तनकी साबित करता है विवाधक के अनुसार वाद डिक्री करना चाहिए या विवाधक साबित नहीं करता है तो वादी को खारिज करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में भी न्यायालय के सामने दो ही विकल्प थे या तो विचारण न्यायालय तनकी साबित होने पर तनकीयात के अनुसार वादी डिक्री करता या तनकी ना साबित होने पर वाद खारिज करना परन्तु विचारण न्याायलय ने तनकीयात पर कोई विवेचन नहीं किया और ना ही तनकीयात पर कोई निर्णय पारित किया और विधि विरूद्ध रूप से उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2022 पारित किया। जो अपास्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने घोषणा दुरूस्ती व विभाजन का वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 317, 318, 319, 320, 321, 322, 338, 339 वाके ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणीयां नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ने वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में होना स्वीकार किया है एवं इस अनुसार विभाजन पर आपत्ति जाहिर नहीं की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं होते है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलान्ट के पास आपत्ति का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 30.05.2022 को वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर दो तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी की साक्ष्य प्राप्त किये बिना, तनकीवार विवेचन किए बिना, घोषणा के अनुतोष पर कोई निर्णय पारित किये बिना विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर